क्रम-संख्या–106 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 9 जुलाई, 2024

आषाढ़ 18, 1946 शक सम्वत्

प्रारूप–18

[नियम 20 का उपनियम (2)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत]

———

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

———

अधिसूचना संख्या 693

दिनांक : 9 जुलाई, 2024

———

अधिसूचना

प०आ०–363

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार / कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के भैसाली बस अड्डे को मेरठ शहर के दोनों ओर स्थानांतरित कर निर्माण हेतु जनपद मेरठ तहसील सदर, परगना सरावा / मेरठ के ग्राम अमीनगर उर्फ भूडबराल एवं तहसील सरधना के क्षेत्र ग्राम मुकर्रबपुर पल्हेडा, सिवाया जमाउल्लापुर व दुल्हैडा चौहान में कुल 3.9930 है0 भूमि की आवश्यकता है।

राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है।

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है –

जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के भैसाली बस अड्डे को मेरठ शहर के दोनों ओर स्थानांतरित कर निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है। इस परियोजना से संभावित लाभ सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के आवश्यक कुल भूमि मूल्य के सापेक्ष अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

भूमि अर्जन के कारण कुल ..... परिवार के विस्थापित होने की संभावना है।

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर मेरठ सदर व डिप्टी कलेक्टर सरधना को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से अपने–अपने कार्यक्षेत्र हेतु प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

अतः समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं :–

भूमि का विवरण :–

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5
मेरठ	सरधना	सिवाया जमाउल्लापुर	168	13
			171	368
			172	418
			173	302
			191	73
			192	102
			1513	798
			1514	2540
			1515	4678
		मुकर्रबपुर पल्हैडा	89	161
		दुल्हैडा चौहान	817	283
			818	728
			819	930
			822	404
	सदर	अमीनगर उर्फ भूड़ बराल	438	7501
			439	1350
			442	650
			443	4370
			444	1980
			446	1120
			447	2657
			450	6500
			464	1854
			468	150

1–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

2–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

3–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
राज्य सरकार/कलेक्टर।

FORM-18

[*Sub* rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Revenue Department

Notification no. 693

Dated, July 09, 2024

NOTIFICATION

Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 3.9930 hectares of land is required in the village Aminagar *urf* Bhudbaral Tehsil Sadar District Meerut & Village Mukkarabpur Palhera, Siwaya Jamaullapur and Dulhera Chauhan Tehsil Shardhana, District Meerut for construction of bus stations/public purpose, namely, project "Shifting of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bhainsali Bus Terminal at two locations outside Meerut City".

Social Impact Assessment study was carried out by the Social Impact Assessment agency and submits its recommendation to the Appropriate Government.

The summary of the Social Impact Assessment Report as follows :

Taking action for land acquisition in Meerut district for the purpose of "Shifiting of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bhainsali Bus Terminal at two locations outside Meerut City" is in the public interest and it serves the public purpose. The project will develop a faster, safer and cheaper transport system. The potential benefits from this project far outweigh the social costs and adverse social impacts. The land proposed for acquisition is very less relative to the total land value required for the project.

A total of …… families are likely to be displaced due to the land acquisition.

Deputy Collector/Assistant Collector Meerut Sadar and Deputy Collector Sardhana is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project-affected families under their respective jurisdictions.

Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purposes**.**

Land details are as follows :-

District	Tehsil	Village	Gata No.	Acquired Area (In Sqm.)
1	2	3	4	5
Meerut	Shardhana	Siwaya Jamaullapur	168	13
			171	368
			172	418
			173	302
			191	73
			192	102
			1513	798
			1514	2540
			1515	4678
		Mokarrabpur Palheda	89	161
		Dulheda Chauhan	817	283
			818	728
			819	930
			822	404
	Sadar	Aminagar *urf* Bhood bral	438	7501
			439	1350
			442	650

1	2	3	4	5
Meerut	Sadar	Aminagar *urf* Bhood bral	444	1980
			446	1120
			447	2657
			450	6500
			464	1854
			468	150

1. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of the land, take levels of any land, dig subsoil into the sub oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

2. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the collector.

3. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the collector.

NOTE :– A plan of land may be inspected in the office of the collector for the purpose of acquisition.

By order,

STATE GOVERNMENT/COLLECTOR.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 556 राजपत्र–2025–(1481)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0./ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 25 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2025–(1482)–150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0./ऑफसेट)।